न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या: 104/2021
यरी दिनांक: 12.10.2021

उनवान

1. गुलाबी पत्नि चैना जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
2. सूखा पिता चैना जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारी पिता लादू जाति बलाई निवासी गहूली तहसील कोटड़ी।

विपक्षी

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 22.10.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि प्रार्थीगण ने अविभाज्य एवम संयुंक्त खाते की भूमि पर हो रखे अवैध एवम विधी विरूद्ध निर्माण को रूकवाने के लिए नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया है जिसमे वे अवश्य विजित होगे। कि मौजा आमली पटवार हल्का जस्सू जी को खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ स्थित संयुक्त खातेदारी की अविभाज्य कृषि भूमि आराजी संख्या 651 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी संख्या 652 रकबा 0.8903 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1007 हैक्टेयर स्थित होकर तहसील माण्डलगढ़ द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त कृषि भूमि निम्नानुसार दर्ज अभिलेख है–

नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)
कमला पुत्री हरलाल हिस्सा 1/9	651	0.2104
गुलाबी पत्नि चेना हिस्सा 1/6	652	0.8903
गिरधारी पुत्र लादू बलाई हिस्सा 1/3 रामा पुत्र हरलाल हिस्सा 1/9 सुखा पुत्र चेना हिस्सा 1/6 सरवण पुत्र हरलाल हिस्सा 1/9	कुल किता 2 रकबा 1.1007 हैक्टेयर	

कि वादग्रस्त जायदाद के सह खातेदार सरवण पुत्र हरलाल जाति रेगर जिसका वादग्रस्त जायदाद में 1/9 हिस्सा है उसकी मृत्यू हो गयी है उसके उत्तराधिकारी काली पत्नी भेरू, मोहन, सूरजा, पप्पू पुत्र एवं लाड, दुर्गा सन्जू पूत्रिया है। जो स्व0 सरवण के स्थान पर 1/9 वे हिस्से की खातेदार है। कि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में जिस खातेदार का जो हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उस बाबत कोई विवाद वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है के परिपेक्ष में विवाद नही है प्रार्थीगण जो कि माता एवं पूत्र है उन प्रत्येक का 1/6 वां हिस्सा वादग्रस्त जायदाद में होकर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में उसी अनुसार उनका हिस्सा दर्ज है कुलिया भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। कि विपक्षी गिरधारी पुत्र लादू जाति बलाई निवासी गहूली जो कि प्राथीगण एवं शेष सह खातेदारान से भिन्न जाति का है उसके नाम पर 1/3 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। विपक्षी गिरधारी बलाई जो कि वादग्रस्त जायदाद से करीब 40 किलोमीटर दूर रहता है किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उसके नाम से बेनाम पूर्व के किसी सह खातेदारी का 1/3 वां हिस्सा स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने क्रय किया क्योकि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त सामलाती खातेदारी अविभाज्य सम्पति अनुसूचित जाति के सम्बन्धित रेगरो के खाते में दर्ज भूमि थी जिसे स्वर्ण जाति का व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

क्रय नहीं कर सकता था इसलिए विपक्षी गिरधारी के नाम से 1/3 हिस्सा कय किया गया। कि [redacted] गिरधारी जो कि वादग्रस्त जायदाद में बाहरी एवं अजनबी खातेदार है उसके द्वारा वादग्रस्त जायदाद का बिना विभाजन कराये अपना नाम खाते मे जुडवा लिया। विपक्षी गिरधारी जिसके नाम पर किसी राजपूत जाति के व्यक्ति ने भूमि कय की है उसका सहयोग करते हुये भूमि का बिना बटवाडा व रूपान्तरण करवाये अविभाज्य संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर दिनांक 30.08.2021 को वादग्रस्त जायदाद के ख0न0 652 के दक्षिणी भुजा के पूर्वी दक्षिण कोने पर व्यवसायिक दुकाने बनाने के लिए नीवें भरवा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जबकि कृषि भूमि का न तो व्यवसायिक न ही आवासीय रूपान्तकरण करवाया। विपक्षी गिरधारी द्वारा कृषि भूमि के आकार व स्वरूप को बिगाडा जाकर अवैध एवं विधि विरुद्ध पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रार्थीगण ने विपक्षी एवं उसके सहयोगी द्वारा करवाये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया तो वादीगण को धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण उनके निर्माण कार्य को रूकवायेगे तो वे भुजबल व पाशविक बल का उपयोग कर निर्माण अवश्य करवायेगे। कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 651 व 652 के दक्षिण दिशा में आम सडक खसरा संख्या 659 स्थित है जो घामणिया से आमली होते हुये जस्सू जी का खेडा को जोड़ती है। सड़क का व्यवसायिक लाभ लेने के लिये विपक्षी गिरधारी द्वारा अपने सहयोगी केता की मदद कर निर्माण करवाया जा रहा है। कि विपक्षी गिरधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रूकवाया जाना आवश्यक है। यदि विपक्षी गिरधारी के विरूद्ध अवैध निर्माण को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो बिना बटवाड़े एवं बिना रूपान्तरण के अवैध निर्माण का पूरा कर लिया जायगा। कि वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रत्येक सहखातेदारान का कृषि भूमि के संयुक्त व अविभाज्य रहते प्रत्येक इंच पर उनके हिस्से अनुसार कब्जा मान्य होकर सह खातेदारान को प्रत्येक हिस्से पर काश्त करने का अधिकार है किसी भी सहखातेदार को हिस्सा विशेष पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। न निर्माण कार्य कर कृषि स्वरूप बिगाड़ने का अधिकार है। कि विपक्षी गिरधारी ने अपने सहयोगी के सहयोग से भारी तादाद में मोके पर निर्माण सामग्री डलवा रखी है व निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए काफी तादाद मे श्रमिक व कारीगर लगा रखे हैं। निर्माण को सहखातेदारो द्वारा रोकने पर विवाद करते हैं व धमकी देते हैं कि विपक्षी गिरधारी दोनो रकबो की सड़क से जुडी भूमि पर दुकानों का निर्माण करवायेगा। कि दिनांक 30.08.2021 को विपक्षी गिरधारी द्वारा अपने सहयोगी केता के साथ मिलकर व्यवसायिक निर्माण हेतु नीवे खुदवायी व प्रार्थीगण के रोकने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोक दुकानों के लिए दिवार का निर्माण जारी रखे हुये। इसलिए प्रार्थीगण को बिनायदावा उत्पन्न हो जारी है। कि प्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद मे 1/3 हिस्से के खातेदार है कृषि भूमि के सयुक्त व अविभाज्य रहते उन्हें प्रत्येक खसरा नम्बर के प्रत्येक इंच के रकबे पर काश्त करने का अधिकार है विपक्षी द्वारा बिना विभाजन व रूपान्तरण के कृषि भूमि के स्वरूप जो समूल रूप से बिगाड जा रहा है। जिसको रुकवाने के लिए प्रार्थीगण प्रकरण प्रथम द्रष्टया समायत योग्य है। कि प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा सन्तुलन के सभी बिन्दु है किसी एक खातेदार का कृषि भूमि के स्वरूप को बदलने व कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करवा अनुपयोगी बनाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा लाया गया वाद तथ्यो व विधी पर आधारित हो न्यायालय के विचारणीय प्रश्न है। प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा सन्तुलन है। कि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसके द्वारा करवाये जा रहे निर्माण को नही रुकवाया गया तो कृषि भूमि व्यवसायिक निर्माण खडा कर दिया जायेगा जिससे मूल वाद के प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही रहेगा। अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। भूमि कृषि स्वरूप बिगाड दिये जाने से अतुलनीय हानी उठानी पड़ेगी। अतः निवेदन है कि मोजा आमली स्थित कृषि भूमि ख0न0 651 रकबा 0.2104 हेक्टर, ख0न0 652 रकबा 0.8903 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 1.1007 हेक्टर मे से ख0न0 652 की दक्षिणी दिशा के पूर्वी दक्षिणी कौन पर विपक्षी द्वारा करवाये जा रहे विधि विरूद्ध एवं अवैध निर्माण को रोकने के लिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे व मोके पर

खण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

पड़ी निर्माण सामग्री को जप्ती सरकार करवाया जावे व कृषि भूमि को पूर्ववत स्वरूप में लाने के हुये निर्माण को ध्वस्त कराया जावे।

दिनांक 12.10.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस मय प्रार्थना पत्र की पति भेज तलब किया गया।

दिनांक 12.10.2021 को ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9–10 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा कृषि भूमि का बिना बंटवाड़ा व रूपान्तरण करवाये व्यवसायिक दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् करीब 6 दुकानों का आर.सी.सी. डालने की स्थिति में निर्माण पंहूच गया है। सम्पूर्ण निर्माण अवैध एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। किसी भी खातेदार को भूमि का आकार व स्वरूप बिगाड़ने का अधिकार नही है। यह है कि वादग्रस्त जायदाद मौजा आमली जिसका पटवार हल्का जस्सूजी का खेड़ा लगता है। न्यायहीत में मौका रिपोर्ट तलब करवाया जाना प्रकरण के निस्तारण के लिये आवश्यक है। यह है कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय को रिपोर्ट निर्णय करने में सहयोग प्रदान करेगी। अतः विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब फरमावी जावें।

दिनाकं 20.10.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प जस्सूजी का खेड़ा में भू.अ.नि. एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि मौजा आमली पटवार हल्का जस्सूजी का खेड़ा की आराजी संख्या 651 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी संख्या 652 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किता 2 रकबा 1.1007 हैक्टेयर कमला पुत्री हरला 1/9, गुलाबी पत्नि स्व. चैना 1/6, रामा पिता हरला 1/9, सूखा पिता चैना 1/6, सरवण पिता हरला 1/9 रेगर सा. देह गिरधारी पिता लादू बलाई 1/3 सा. गहूली के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी कृषि भूमि होकर किसी प्रकार का रूपान्तरण नही किया हुआ है। मौके पर आराजी संख्या 652 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर 26X105 फिट में वर्तमान में पक्का निर्माण कार्य चल रहा है। व साथ ही 50 फिट लम्बी पक्की दिवार आमली से जस्सूजी का खेड़ा रास्ते के सहारे किया हुआ है। उक्त निर्माण सहखातेदार गिरधारी पिता लादू बलाई निवासी गहूली द्वारा करवाया जाना मौतविरान द्वारा जाहिर है।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन स्थिति इस प्रकार पाई गई कि विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का रूपान्तरण करवाये एवं बिना बंटवाड़े के सहखातेदारी की भूमि पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा आमली पटवार हल्का जस्सूजी का खेड़ा की आराजी संख्या 651 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, आराजी संख्या 652 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किता 2 रकबा 1.1007 हैक्टेयर पर मुलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे एवं किसी प्रकार का निर्माण नही करे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। एवं मूलवाद संख्या 112/2021 के साथ संलग्न रहे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़